



Neutral Citation No. - 2026:AHC:37638-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 3288/2026

श्रीमती चंद्रावती मिश्रा

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अखिल तिवारी, कुमार आशुतोष श्रीवास्तव

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को दिन के दौरान पक्षों की सूची में आवश्यक सुधार करने की अनुमति दी जाती है।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान एजीए को सुना गया और रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
3. यह रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:

"(i). परमादेश की प्रकृति का एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें संबंधित प्राधिकारी को निर्देश दिया जाए कि वह एफ.आई.आर दिनांक 3.9.2025, मुकदमा अपराध संख्या 53/2025,

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



धारा 70(1) बी.एन.एस. और 67 आई.टी. अधिनियम, थाना सिसामऊ, जिला कानपुर नगर के संबंध में निष्पक्ष और उचित जांच करे और उसे निर्धारित समय के भीतर पूरा करे।

(ii). कोई अन्य रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसे यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित और सही समझे।"

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता वर्तमान मामले में प्रथम सूचनादाता है और यद्यपि इस मामले में एफआईआर 3.9.2025 को दर्ज की गई थी, फिर भी पुलिस मामले की जांच निष्पक्ष और न्यायोचित तरीके से नहीं कर रही है।
5. उपरोक्त के मद्देनजर, याचिकाकर्ता पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट, कानपुर नगर के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें वह अपनी शिकायत को उजागर करे और निष्पक्ष तथा निष्पक्ष जांच की मांग करे; और यदि ऐसा आवेदन पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट, कानपुर नगर/प्रतिवादी संख्या 4 के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो वह वर्तमान मामले में निष्पक्ष, निष्पक्ष और त्वरित जांच सुनिश्चित करेगा।
6. उपरोक्त आदेश के साथ, यह याचिका निस्तारित की जाती है।

(न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता) (न्यायमूर्ति अचल सचदेव)

19 फरवरी, 2026

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”